	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024 *Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23926 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूचि “भाग-1 एवं भाग-2” में सम्मलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती है:-

अनुसूची "भाग-1"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटनडाईंग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों मेंनियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज

11	तेल मिल (मिल ऑयल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल मेंनियोजन
22	सड़को के संन्निर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं मेंनियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिंजेन्सी एण्डवर्क्स में मण्डलों तथा निगम जिसमें आकस्मिक (नियुक्तश्रमिक/कामगार शामिल भी है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति सेसंबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंनियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो(सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो में) नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्सकी मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं मेंनियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानेजो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन मेंसम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंगउद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवंफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन

44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं मेंनियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनोंमें सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग मेंनियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंगऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के)में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग मेंनियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग मेंनियोजन

अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
52	**(कृषि में नियोजन)-** किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग-I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों /कर्मचारी का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरे (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
अकुशल -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय	7410/-	285/-